

निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, उ०प्र०, तृतीय तल इन्दिरा भवन, लखनऊ।  
पत्रांक- 3385-8/बा०वि०परि०/स्था०-4/2017-2018/दिनांक 2-8-2017

समस्त, जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,  
उत्तर प्रदेश।

विषय:- चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में 50 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर चुके कर्मचारियों की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कर्मचारी जिनकी आयु 50 वर्ष या उससे अधिक की हो गयी है, उनकी सूचना शासन को प्रेषित की जानी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जनपद में 50 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर चुके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का सम्पूर्ण विवरण निर्धारित प्रारूप पर (एम०एस० एक्सल पर सी०डी० व हार्ड कापी में) 05 दिवस में निदेशालय को उपलब्ध करायें। उल्लेखनीय है कि जिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर प्रारूप के कालम-5 व 6 के अनुसार कार्यवाही नहीं हुयी है पर वह 50 वर्ष या उससे अधिक की आयु के है, उनका विवरण भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

क०स०	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का नाम	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	अभियोजन स्वीकृति सं०/दिनांक	वृहद दण्डादेश संख्या/दिनांक	विषय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

( सत्यवती सरोज )  
अपर परियोजना प्रबन्धक।

पृष्ठांकन संख्या-

/ तद् दिनांक।

प्रतिलिपि:- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

( सत्यवती सरोज )  
अपर परियोजना प्रबन्धक।